333

संख्या 155/XXX(2)/17-3(2)2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 19 मई, 2017

विषयः– सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में विभिन्न सेवाओ के अन्तर्गत प्रशासन में स्वच्छता व कर्मचारियों के कार्य में निष्पक्षता तथा सुगम एवं दुर्गम स्थानों को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक स्थानान्तरण नीति कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 588/XXX(2)/2008, दिनांक 29 मई 2008 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त स्थानान्तरण नीति में यह उल्लेख भी किया गया है कि यह स्थानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत लागू रहेगी। लोकहित में तथा विशेष परिस्थिति में इस नीति अथवा नीति के आधार पर कियान्वयन में किसी भी परिवर्तन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

2– अतः इस संबधं में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2017 में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण 2008 में जारी की गई स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही किये जायेंगे। यदि किसी विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उक्त नीति में छूट/विचलन अपेक्षित हो, तो ऐसी कार्यवाही कार्मिक विभाग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके की जा सकेगी। अतः वर्ष 2017 में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण शासनादेश संख्या संख्या–588/XXX(2)/2008, दिनांक 29 मई 2008 में निर्धारित स्थानान्तरण नीति के आधार पर करने का कष्ट करें।

4– अतः शासन द्वारा विचारोपरान्त वर्तमान सत्र हेतु वार्षिक स्थानान्तरण की समयावधि दिनांक 30 जून, 2017 निर्धारित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। कृपया निर्धारित अवधि दिनांक 30 जून,2017 तक वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

संख्या /XXX(2)/2017–3(2)2006 तद्दिनांकित:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(7) NIC

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।